



120

पुनरीक्षण प्र.क. 1418/PBR/18  
निरस्ती दिनांक: 18/7/2018

खरगोन

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व पर्षद ग्वालियर  
पीठ इन्दौर, इन्होंनेके समक्ष में

श्री. इ. म. खरगोन  
ले. 6/11 19-7-18  
पुनरीक्षण  
B  
14-7

आवेदन पत्र आवेदक की ओर से धारा 35(2) एवं (3) एवं धारा 32 म.प्र.भूराजस्व संहिता  
एवं धारा 151 व्य.प्र.सं. के अन्तर्गत,

पुनर्स्थापना - 4899/2018/खरगोन/भू.सं.

हाजी इस्माईल भाई पिता हाजी मुल्ला मोहम्मद हुसैन बोहरा

आयु 78 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी डायव्हर्शन रोड

आरती टॉकीज के सामने खरगोन तहसील व जिला खरगोन म.प्र. — आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधी

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजस्व खरगोन, अन्य-1 — अनावेदकगण

विषय:- भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तित न मानने, प्रिमियम एवं भूराजस्व के  
पुनर्निर्धारण को वर्ष 2011-12 की गाईडलाईन अनुसार न करने तथा दण्डादेश  
अधिरोपण के आदेश को निरस्त करने बाबद ।

